प्र.सं. 16/2021 पप्पूलाल व अन्य बनाम श्रीमती सोहनीबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व अन्य ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खटुकडा, तहसील रेलमगरा में आराजी नंबर 677, 678, 688, 689, 692, 693, 698, 699, 1069 कुल किता 9 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। वादी संख्या 1 के पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिससे आराजी नंबर 698 के अलावा अन्य भूमि में भी वादीया का नाम पुत्री की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ दर्ज होना चाहिए था, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मिलीभगत कर नामान्तरकरण अपने स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया, जबकि वादिया मगनीराम जी की पुत्री होने से उसके नाम भी नामान्तरकरण स्वीकृत होना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या 4 देउबाई मगनीराम जी की नातायत पत्नी बनकर रही, जिसका कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं है इसलिए उसका नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर वादीया को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। आराजी नंबर 698 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा किस्म बंजर स्वर्गीय खेमराज के पुत्र धन्ना, मगनीराम, मोती, भुराराम एवं नगजीराम पॉच भाईयों ने मिलकर खरीदा। धन्ना वृद्ध होने से व मगरीनाम होशियार होने से पॉचों भाईयों ने 120/– रूपये में ठिकाना नाथद्वारा से क्रय की, जिसका पट्टा मगनीराम एवं माता जोधाबाई के नाम से कराया गया। पांचों भाईयों ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि को 6 भागों में बांट लिया तथा अपने–अपने हिस्से का उपयोग–उपभोग करने लगे। नगजीराम को छोडकर सभी भाईयों की मृत्यु हो चुकी है। उक्त आराजी में वादी संख्या 2 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 5, 6 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 7 का 1/6 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी भगवतीलाल ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि एक इकरार दिनांक 02.10.2010 को	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:07 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के पक्ष में लिखा कि वादीगण का इस जमीन में शामलाती हिस्सा है, किन्तु अकेले मगनीराम के नाम से क्रय करने के कारण उनके नाम आयी व उनकी मृत्यु पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हो गयी, जबकि प्रतिवादी पप्पूलाल, मदनलाल व भगवतीलाल ने दिनांक 22.05.2009 के इकरारनामे को स्वीकार किया है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात में हिस्सेनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करायी जावे तथा आराजी नंबर 698 में उनके हिस्से व कब्जे अनुसार घोषणा करायी जाकर विभाजन की डिक्री प्रदान की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तथा 7 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया की मगनीराम जी की मृत्यु पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 4 विवादित भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। वादी संख्या 1 के शादी मगनीराम व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने करवायी तथा दहेज के रूप में सम्पत्ति तथा उसके लड़के लड़की की शादी में यथाशक्ति मायरा दिया। वादी संख्या 1 ने अन्य वादीगण के बहकावें में आकर दावा किया है। प्रतिवादी संख्या 4 ने मगनीराम से रीति रिवाज से नाता विवाह किया है, जिसके नुत्फे से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का जन्म हुआ है तथा सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। प्रतिवादीद संख्या 1 से 4 को घरेलू खर्च व विधिक सामाजिक कार्यो के के लिए आवश्यकता होने से उनके स्वत्व व आधिपत्य की भूमि का तीन लाख में रजिस्टर्ड विक्रय प्रतिवादी संख्या 7 कैलाशचन्द्र के पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया है, जिससे दावा पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 6 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 10.03.2021 को वादीया का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने दिनांक 24.08.2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:07 IST
Reason: SelfAttested

को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए, शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 दिनांक 02.08.2021 को अपीलान्ट को कब्जा खाली करने को कहा तो उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि दौराने दावा वादी संख्या 2 से 7 ने अपना वाद विड्रो कर दिया, जिससे वे प्रकरण में पक्षकार नहीं रहे। किन्तु वे रेकार्डेड खातेदार हैं इसलिए यदि वह वादी पक्ष से हट जाते हैं तो उन्हें प्रतिवादी बनाया जाना आवश्यक था। इसके अलावा साक्ष्य वादी की प्रतिपरीक्षा प्रतिवादी से नहीं करवायी गयी है। ऐसी स्थिति में उनकी साक्ष्य नहीं मानी जा सकती। वादीया मगनीराम की पुत्री होने संबंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने को आधार बनाकर वाद डिक्री कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:07 IST
Reason: SelfAttested

नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। आदेशिका दिनांक 01.04.2013 अनुसार वादी संख्या 2 से 7 ने अपना वाद विड्रो कर लिया था, जबकि वह विवादित आराजियात के सहखातेदार दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से वाद विड्रो के बाद उन्हें प्रतिवादीगण के रूप में संस्थित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि साक्ष्य वादी की साक्ष्य का प्रति परीक्षण प्रतिवादीगण से नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में विधि अनुसार ऐसी साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हालांकि तनकीवार निर्णय पारित किया है, किन्तु तनकियों का विवेचन मात्र वादी के मौखिक साक्ष्यों के आधार पर करते हुए विवादित भूमि को पैत्रृक मानकर वादीया को सहखातेदार घोषित किया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 499/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.06.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:07 IST
Reason: SelfAttested